तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 14/2024 बउनवान लखसिंह वगैरह बनाम भंवरसिंह वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

आदेश

दिनांक 24.06.2025

उपस्थिति

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री मनोज पारिक।
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से श्री रमेश सोलंकी।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि मौजा भैसड़ा पटवार सर्किल भैसड़ा, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर में खेत खसरा संख्या 397 रकबा 412.11 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 3 के पूर्वज बुलीदानसिंह पुत्र बन्नेसिंह कौम राजपूत के कब्जा व काश्त की थी, मगर वक्त सेटलमेंट खातेदारी दर्ज करते समय तत्कालीन भू राजस्व अधिकारियों द्वारा लिपिकीय भूल से उनके एक पुत्र विजयसिंह अकेले के नाम दर्ज कर ली गई। वक्त सेटलमेंट जोधपुर जिले की तहसील शेरगढ के ग्राम उठवालिया भूमि खसरा संख्या 467, 379, 464 में स्थित भूमि बुलीदानसिंह पुत्र बन्नेसिंह के नाम दर्ज की गई। अपीलाधीन आराजी पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 काबिज काश्त है और बुलीदानसिंह पुत्र बन्नेसिंह के 6 पुत्रों जोगसिंह, विजयसिंह, दलपतसिंह, बलवंतसिंह, सुल्तानसिंह व लखसिंह का बराबर–बराबर हिस्सा भूमि आती है और सभी छः पुत्र मौजूद थे, मगर तत्कालीन भू–राजस्व कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा लिपिकीय भूल से उनके एक पुत्र विजयसिंह अकेले के नाम भूमि दर्ज कर ली गई तथा 5 भाईयों का नाम छोड़ दिया गया। इस कारण वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

एवं आवेदन अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया गया। मौजूदा प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलांट के स्थगन प्रार्थना–पत्र में चाही गई एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश की प्रार्थनाको स्वीकार किया जाकर वांछित अंतरिम स्थगन आदेश जारी किए जाने योग्य था, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने मौजूदा प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को नजरंदाज कर अपीलांट के पक्ष में अंतरिम स्थगन आदेश पारित नहीं कर कानूनी भूल की है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निस्तारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांटगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एस.बी.सिविल पीटीशन संख्या 5724/2025 में पारित आदेश की पालना में हस्तगत अपील पत्रावली को शीघ्र निस्तारण के आदेश पारित किये गये। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता उतरदाता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलाधीन आराजी पैतृक नहीं होकर उत्तरदाता की स्वअर्जित सम्पति है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गंभीरतापूर्वक गौर करते हुए पारित किया गया। उतरदातागण अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध पारित की गई जो पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। श्रीमान द्वारा किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित किया जाता है तो उत्तरदाता अपने

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खातेदारी अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग से वंचित हो जायेगा। श्रीमान न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 11.12.2024 को स्थगन आदेश पारित किया गया तत्पश्चात दिनांक 08.01.2025 को बाद समुचित सुनवाई उक्त आदेश दिनांक 11.12.2024 को प्रत्याहरित किया गया। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। श्रीमान द्वारा किसी प्रकार का अंतरिम आदेश पारित किया जाता है तो उसकी आड़ में अपीलांटगण द्वारा उतरदातागण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किये जाना संभाव्य है जिससे उतरदाता को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु उतरदाता के पक्ष में है। न्यायहित में अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जाकर उतरदाता को न्याय प्रदान करे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एस.बी.सिविल पीटीशन संख्या 5724/2025 में पारित आदेश की पालना में हस्तगत अपील पत्रावली पर बहस सुनी गई। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई। अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल आवेदन के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलास दिनांक 24.06.2025 को सुनाया गया।

24/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर